न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मालपुर)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 3/23/17 निर्णय दिनांक : 14.06.2018

उनवान

1. फजरू खांन पुत्र दीनमोहम्मद जाति मेव निवसी ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ।

.... अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.20, 316 रकबा 0.64, 317 रकबा 0.01, 318 रकबा 1.33, 319 रकबा 0.01, 320 रकबा 0.74, 296 रकबा 0.75, 873 रकबा 0.24, 876 रकबा 0.22, 882 रकबा 0.18, 883 रकबा 0.18, 884 रकबा 0.17, 907 रकबा 0.21, 484 रकबा 0.60, 473 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को कई नामों से सम्बोधित किया जाता है। तथा प्रार्थी के हाल राजस्व रिकार्ड में फज्जु, फजरूदीन, फज्जु खां, फजरू खां दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम फजरू खांन है। व इसी प्रकार से पिता का भी नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जैसे दीना, दीनू, दीमोहम्मद, दीनमोहम्मद दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम दीनमोहम्मद है। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों से सहबन से हुई है जो एक लिपिकीय त्रुटि है। जो काबिज दरूस्ती है। हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कही फज्जु, कहीं फजरूदीन, कहीं फज्जु खां, कहीं फजरू खां दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम कहीं दीना, कहीं दीनू, कहीं दीमोहम्मद, कहीं दीनमोहम्मद दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम फजरू खांन है तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम दीनमोहम्मद है जो अन्य समस्त दस्तावेजो में दर्ज है तथा हाल राजस्व रिकार्ड के प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। जिसे दुरूसत किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 541 रकबा 0.20, 316 रकबा 0.64, 317 रकबा 0.01, 318 रकबा 1.33, 319 रकबा 0.01, 320 रकबा 0.74, 296 रकबा 0.75, 873 रकबा 0.24, 876 रकबा 0.22, 882 रकबा 0.18, 883 रकबा 0.18, 884 रकबा 0.17, 907 रकबा 0.21, 484 रकबा 0.60, 473 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है में हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम फजरू खांन व प्रार्थी के पिता का सही नाम दीनमोहम्मद दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद उपस्थित नही हुए। तत्पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.06.2018 को पेश हुई। ग्राम पंचायत मालपुर शिविर / कैम्प कोर्ट में प्रार्थी उपस्थित हुआ। प्रार्थी ने इस आश्य का शपथ पत्र पेश किया कि मेरा नाम पहचान पत्र, राशनकार्ड में फजरू खांन पुत्र दीनमोहम्मद दर्ज है जबकि मेरे परिवार के सदस्य भाई जो मुझे फजरूदीन पुत्र दीनमोहम्मद के नाम से पुकारते है। मेरी कृषि भूमि के खाते में कहीं फजरू, फज्जु, फजरूदीन है। एक ही व्यक्ति के तीन नाम किये हुए है जो गलत है। राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम फजरू खांन पुत्र दीन मोहम्मद जाति मेव दुरूस्त किया जावें। प्रार्थी के भाई अलादीन, बन्ना खां पुत्रांन दीनमोहम्मद के हस्ताक्षर कराये गये।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 541 रकबा 0.20,

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

316 रकबा 0.64, 317 रकबा 0.01, 318 रकबा 1.33, 319 रकबा 0.01, 320 रकबा 0.74, 296 रकबा 0.75, 873 रकबा 0.24, 876 रकबा 0.22, 882 रकबा 0.18, 883 रकबा 0.18, 884 रकबा 0.17, 907 रकबा 0.21, 484 रकबा 0.60, 473 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम फजरू खांन व प्रार्थी के पिता का सही नाम दीनमोहम्मद दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट **मालपुर** में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0